रामनारायण बनाम रामप्यारी

11/2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/5/24	पत्रावली पेश है। प्रार्थिया व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं तथा अदालत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई। उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। न ही प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 19/11/2024 की पालना में डाक रसीद आदि जारी होने के बाद पेश की है अतः प्रार्थी का प्रा.प.सं. 09/25 में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल अभिलेख पत्रावली सेवा हो बाद फाईल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सी.ए.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:41:14 IST
Reason: SelfAttested